

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.8(47)नविवि/II/1974पार्ट

जयपुर, दिनांक: 20 APR 2017

आदेश

निम्नांकित मुख्य अभियन्ताओं को उनके नाम के सामने अंकित प्राधिकरण/नगर सुधार न्यासों के कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अभियन्ता एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	न्यास/प्राधिकरण जिसके लिए मुख्य अभियन्ता अधिकृत है
1.	श्री ए.एन. अंसारी, मुख्य अभियन्ता	नगर विकास न्यास, कोटा	कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर
2.	श्री अरुण मेहता, मुख्य अभियन्ता	नगर विकास न्यास, अलवर	अलवर, भिवाडी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाडा
3.	श्री सुभाष गुप्ता, मुख्य अभियन्ता	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	अजमेर, आबू, जैसलमेर, पाली सीकर, बाडमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर

राज्यपाल की आज्ञा से,


3d/-

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. अध्यक्ष/सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
4. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर/आबू/भरतपुर/भीलवाडा/भिवाडी/बीकानेर/
चित्तौड़गढ़/सवाईमाधोपुर/सीकर/बाडमेर/पाली/कोटा/जैसलमेर/उदयपुर/श्रीगंगानगर।
5. श्री ए.एन. अंसारी, मुख्य अभियन्ता, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. श्री अरुण मेहता, मुख्य अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर।
7. श्री सुभाष गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

 29/4/17

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम